

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक: प.8()लेखा/SJSY/संशोधन/PD/DLB/ 13358

दिनांक:- 16/08/2018

::आदेश::

शहरी जनसहभागी योजना के क्रियान्वयन हेतु उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश क्रमांक 9464 दिनांक 11.08.2006 के बिन्दु संख्या 2(अ) में स्वीकृत योग्य कार्यों के अतिरिक्त निम्न नवीन कार्य भी जोड़ा जाता है।

- ✓ "सामाजिक संस्थाओं को आवंटित भूमि पर सामुदायिक केन्द्र अथवा अन्य प्रकार की सार्वजनिक सुविधा हेतु सार्वजनिक सम्पत्ति का निर्माण" इस हेतु सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनको आवंटित भूमि को नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये संबंधित नगरीय निकाय/राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करना होगा तथा निर्मित सम्पत्ति का उपयोग समाज के सभी वर्गों द्वारा किया जा सकेगा। ऐसी सृजित सम्पत्तियों का स्वामित्व संबंधित नगरीय निकाय का रहेगा।

योजना से संबंधित शेष प्रावधान एवं दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
उक्त आदेश समक्ष स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8()लेखा/SJSY/संशोधन/PD/DLB/ 13359-710

दिनांक:- 16/08/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-III), राज. जयपुर को ID No. 171800826 दिनांक 14.08.18 के क्रम में।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, समस्त।
9. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्वायत्त शासन विभाग, समस्त।
10. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त।
11. सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त।
12. आयोजना शाखा, निदेशालय, जयपुर।
13. जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी, समस्त।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(एस.आर.मीणा)
परियोजना निदेशक